**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 945**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्तर**

**रेल सुरक्षा हेतु पृथक निकाय**

**945. श्री अब्‍दुल वहाब:**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

1. क्‍या नीति आयोग ने रेलवे को रेल सुरक्षा के लिए पृथक निकाय का गठन करने के लिए कहा है; और
2. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

रेल सुरक्षा हेतु पृथक निकाय के संबंध में दिनांक 22.12.2017 को लोक सभा मेंश्री अब्‍दुल वहाब द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 945 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क) और (ख): जी हां। राष्‍ट्रीय रेल संरक्षा कोष (आरआरएसके) के लिए वित्‍त व्‍यवस्‍था फ्रेमवर्क के संबंध में सदस्‍य नीति आयोग, डॉ. बिवेक देबराय द्वारा एक नोट प्रस्‍तुत किया गया था।

उक्‍त नोट में, डॉ. अनि‍ल काकोदकर की अध्‍यक्षता में उच्‍च स्‍तरीय संरक्षा समिति (एचएलएसआरसी) को एक पत्र भेजा गया था जिसमें रेल संरक्षा प्राधिकरण (आरएसए) की स्‍थापना सहित रेल संरक्षा में सुधार के संबंध में विभिन्‍न उपायों के बारे में सुझाव दिया था। काकोदकर समिति द्वारा प्रस्‍तावित अधिकांश व्‍यावहारिक सुझावों को लागू कर दिया गया है। बहरहाल, रेल संरक्षा प्राधिकरण का सृजन करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन रेल संरक्षा आयोग नामक एक स्‍वतंत्र संस्‍थान पहले ही कार्य कर रहा है। यह आयोग रेलवे में संरक्षा पहलुओं की समीक्षा/अनुमोदन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है।

\*\*\*\*\*